दिनांक 31.01.2025
प्रेस विज्ञप्ति 44/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों का विदाई समारोह सम्पन्न

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनॉकः 31.01.2025 को पुलिस मुख्यालय में आयोजित विदाई समारोह के दौरान अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी श्री अविनाश चन्द्र, महानिदेशक, फायर सर्विस उ0प्र0 लखनऊ, श्री भजनी राम मीना, अपर पुलिस महानिदेशक नियम एवं ग्रन्थ उ0प्र0 लखनऊ, श्री शशिकान्त, पुलिस अधीक्षक लोक शिकायत मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ एवं श्री लाल साहब यादव, पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन उ0प्र0 लखनऊ को मोमेन्टो भेंट किया गया तथा सेवाकाल के दौरान किये गये कार्यो की सराहना करते हुए उनके एवं उनके परिवार के सुख, समृद्धि एवं उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गयी।

श्री अविनाश चन्द्र जी का जन्म 07 जनवरी 1965 को आजमगढ़ में हुआ था। वर्ष 1990 में 'भारतीय पुलिस सेवा' में चयनित हुये। प्रशिक्षणोपरान्त सहायक पुलिस अधीक्षक, खीरी, इलाहाबाद, अपर पुलिस अधीक्षक इलाहाबाद, पुलिस अधीक्षक(नगर) इलाहाबाद, पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा, पीलीभीत, गोण्डा, गाजीपुर, अम्बेडकरनगर, फतेहपुर, मीरजापुर, फिरोजाबाद, कुशीनगर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर, फैजाबाद, पुलिस अधीक्षक सर्तकता अधिष्ठान लखनऊ, पुलिस अधीक्षक(कार्मिक) पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद, सेनानायक द्वितीय वाहिनी पीएसी सीतापुर, चतुर्थ वाहिनी पीएसी इलाहाबाद, 35वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ एवं 47वीं वाहिनी पीएसी के पदों पर नियुक्त रहे। वर्ष 2005 में 'पुलिस उप महानिरीक्षक' के पद पर प्रोन्नत होकर पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ, पुलिस उप महानिरीक्षक, बरेली परिक्षेत्र, बरेली के पदों पर नियुक्त रहे। पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ के पद पर रहते हुये वर्ष 2009 में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर प्रस्थान कर गये। वर्ष 2015 में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस आने के फलस्वरूप अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन के पदों पर नियुक्त रहे। वर्ष 2022 में 'पुलिस महानिदेशक' के पद पर प्रोन्नत होकर महानिदेशक फायर सर्विस लखनऊ के पद पर नियुक्त हैं जहाँ से आज अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

वर्ष 2008 मे गणतन्त्र दिवस के अवसर पर दीर्घ एवं सराहनीय सेवाओं के लिये पुलिस पदक, स्वतन्त्रता दिवस 2013 के अवसर पर वीरता के लिये पुलिस पदक, स्वतन्त्रता दिवस 2014 के अवसर पर विशिष्ट सेवाओं के लिये पुलिस पदक, स्वतन्त्रता दिवस 2015 के अवसर पर वीरता के लिये पुलिस पदक का प्रथम बार, गणतन्त्र दिवस 2018 के अवसर पर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 का प्रशंसा चिन्ह सिल्वर, स्वतन्त्रता दिवस 2019 के अवसर पर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 का प्रशंसा चिन्ह गोल्ड एवं स्वतन्त्रता दिवस 2020 के अवसर पर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 का प्रशंसा चिन्ह प्लेटिनम से सम्मानित किया गया है।

श्री अविनाश चन्द्र जी अत्यन्त निष्ठावान, न्यायप्रिय, सरल स्वभाव के एवं सुयोग्य अधिकारी रहे हैं। आपका 34 वर्षों से अधिक का कार्यकाल अत्यन्त सराहनीय रहा है।

श्री भजनी राम मीना जी का जन्म 12 जनवरी 1965 को राजस्थान में हुआ था। वर्ष 1997 में 'भारतीय पुलिस सेवा' में चयनित हुये। प्रशिक्षणोपरान्त सहायक पुलिस अधीक्षक मेरठ, बरेली, अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ, पुलिस अधीक्षक जनपद कौशाम्बी, रायबरेली, गाजीपुर, जालौन, बहराइच, बागपत, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर, पुलिस अधीक्षक अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ, रेलवे झांसी, विशेष जाँच लखनऊ, डॉ0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद, ईओडब्ल्यू मेरठ, पीटीएस गोरखपुर, सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ, प्रोजेक्ट एण्ड डेवलेपमेन्ट इण्डिया लि0 नोएडा, सेनानायक 09वीं वाहिनी पीएसी मुरादाबाद, 12वीं वाहिनी पीएसी, फतेहपुर, 25वीं वाहिनी पीएसी रायबरेली, 33वीं वाहिनी पीएसी झांसी, 47वीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद के पदों पर नियुक्त रहे। वर्ष 2013 में ''पुलिस उप महानिरीक्षक'' के पद पर प्रोन्नत होकर पुलिस उप महानिरीक्षक, पीएसी सेक्टर वाराणसी, पीएसी सेक्टर मुरादाबाद, पुलिस उप महानिरीक्षक चित्रकूट धाम परिक्षेत्र बांदा के पदों पर नियुक्त रहे। वर्ष 2015 में ''पुलिस महानिरीक्षक'' के पद पर प्रोन्नत होकर पुलिस महानिरीक्षक दूरसंचार, पीटीएस मुरादाबाद, रेलवे प्रयागराज, पीएसी पूर्वी जोन प्रयागराज के पदों पर नियुक्त रहे। वर्ष 2022 में 'अपर पुलिस महानिदेशक' के पद पर प्रोन्नत होकर अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक पीएसी पूर्वी जोन इलाहाबाद के पद पर नियुक्त हुये वर्तमान में अपर पुलिस महानिदेशक, नियम एवं ग्रन्थ, उ0प्र0 के पद पर नियुक्त हैं जहाँ से आज अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

श्री भजनी राम मीना जी सरल एवं जागरूक स्वभाव के अधिकारी रहे हैं। आपका 27 वर्षों से अधिक का सेवाकाल अत्यन्त सराहनीय रहा है।

श्री शशिकान्त जी का जन्म 02 जनवरी 1965 को जनपद अम्बेडकरनगर में हुआ था। वर्ष 1997 में 'प्रान्तीय पुलिस सेवा' में चयनित हुये। प्रशिक्षणोपरान्त पुलिस उपाधीक्षक, जनपद चन्दौली, आजमगढ़, महोबा, हमीरपुर, वाराणसी, लखनऊ, प्रतापगढ़, पीटीसी सीतापुर, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के पदों पर नियुक्त रहे। वर्ष 2013 में 'अपर पुलिस अधीक्षक' के पद पर प्रोन्नत होकर अपर पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ, चन्दौली, सुरक्षा वाराणसी, अपर पुलिस अधीक्षक(दक्षिणी) बाराबंकी, स्टाफ आफिसर, अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज एवं लखनऊ जोन के पदों पर नियुक्त रहे। वर्ष 2021 में 'भारतीय पुलिस सेवा' में प्रोन्नत होने के उपरान्त पुलिस अधीक्षक, लोक शिकायत, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के पद पर नियुक्त हुये जहाँ से आज अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

दिनांक 05.03.2019 को कुम्भ सेवा मेडल, स्वतन्त्रता दिवस 2019 के अवसर पर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 का प्रशंसा चिन्ह सिल्वर, स्वतन्त्रता दिवस 2020 के अवसर पर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 का प्रशंसा चिन्ह गोल्ड, इसी अवसर पर उत्कृष्ट सेवा पदक, गणतन्त्र दिवस 2021 के अवसर पर दीर्घ एवं सराहनीय सेवाओं के लिये पुलिस पदक एवं स्वतन्त्रता दिवस 2023 के अवसर पर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 का प्रशंसा चिन्ह प्लेटिनम से सम्मानित किया गया है।

श्री शशिकान्त जी अपने कार्य के प्रति लगनशील एवं मृदुभाषी अधिकारी रहे हैं। आपका 27 वर्षों से अधिक का सेवाकाल सराहनीय रहा है।

श्री लाल साहब यादव जी का जन्म 10 जनवरी 1965 को जनपद जौनपुर में हुआ था। वर्ष 1997 में 'प्रान्तीय पुलिस सेवा' में चयनित हुये। प्रशिक्षणोपरान्त पुलिस उपाधीक्षक, जनपद गाजीपुर, बाँदा, जालौन, चन्दौली, मैनपुरी, वाराणसी, एटा, बुलन्दशहर एवं एसीओ गोरखपुर के पदों पर नियुक्त रहे। वर्ष 2013 में 'अपर पुलिस अधीक्षक' के पद पर प्रोन्नत होकर अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक बुलन्दशहर, अपर पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकरनगर, बलरामपुर, कुशीनगर, हमीरपुर, उप सेनानायक, 39वीं वाहिंनी पीएसी मिर्जापुर 44वीं वाहिंनी पीएसी मेरठ के पदों पर नियुक्त रहे। वर्ष 2022 में 'भारतीय पुलिस सेवा' में प्रोन्नत होने के उपरान्त पुलिस अधीक्षक, ईओडब्ल्यू लखनऊ के पद पर नियुक्त हुये जहाँ से आज अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

श्री लाल साहब यादव जी अपने कार्य के प्रति समर्पित एवं मृदुभाषी अधिकारी रहे हैं। आपका 27 वर्षों से अधिक का सेवाकाल सराहनीय रहा है।

इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक रूल्स मैन्युअल, पुलिस महानिदेशक कारागार, पुलिस महानिदेशक होमगार्ड, पुलिस महानिदेशक पावर कार्पोरेशन, पुलिस महानिदेशक टेलीकॉम , पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण, पुलिस महानिदेशक भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, अपर पुलिस महानिदेशक यूपी 112, अपर पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम, अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे, अपर पुलिस महानिदेशक लॉजिस्टिक, अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जी0एस0ओ0, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

UTTAR PRADESH POLICE

दिनांक 31.01.2025
प्रेस विज्ञप्ति 45/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद कानपुर देहात/थाना सिकन्दरा

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 3750/– रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस बरामद**

दिनांक 31.01.2025 को थाना सिकन्दरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम हरिहरपुर के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त रजनीश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के 3750/– रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद कानपुर देहात, औरैया के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, धोखाधड़ी आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना सिकन्दरा पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सिकन्दरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रजनीश निवासी ग्राम गोपालपुर थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात।

बरामदगी

1–लूट के 3750/– रूपये नगद।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना मंसूरपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद**

दिनांक 30.01.2025 को थाना मंसूरपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम सोहजनी मार्ग पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही अभियुक्त शमशाद उर्फ काला घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 19 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना मंसूरपुर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मंसूरपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शमशाद उर्फ काला निवासी ग्राम दभेड़ी थाना मंसूरपुर जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2—01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

जनपद मथुरा/थाना छाता

- **पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 14 हजार 400 रूपये नगद**
- **04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 वैन्यू कार (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद**

दिनांक 30/31.01.2025 को थाना छाता पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दद्दी गढ़ी नाले के किनारे बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही अभियुक्त 1–विनीत 2–भूपेन्द्र 3–नेहना 4–हेमन्त घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के 14 हजार 400 रूपये नगद, 04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 वैन्यू कार (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 28.01.2025 को थाना छाता क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना छाता पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया आदि लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना छाता पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विनीत निवासी आझई खुर्द थाना जैत जनपद मथुरा।

2–भूपेन्द्र निवासी आझई खुर्द थाना जैत जनपद मथुरा।

3–नेहना निवासी आझई खुर्द थाना जैत जनपद मथुरा।

4–हेमन्त निवासी ऊमरी थाना मगोर्रा जनपद मथुरा।

<u>बरामदगी</u>

1—लूट के 14 हजार 400 रूपये नगद।

2—04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3—घटना में प्रयुक्त 01 वैन्यू कार (बिना नम्बर प्लेट) आदि।

<u>जनपद मथुरा/थाना राया</u>

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 किलो 300 ग्राम अवैध चरस**
- **01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 30.01.2025 को थाना राया पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बिचपुरी बम्बा की पटरी ग्राम बढ़ेरा के पास से अभियुक्त आजाद उर्फ हासिम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 किलो 300 ग्राम अवैध चरस, 01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना राया पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—आजाद उर्फ हासिम निवासी मो0 संजय नगर कस्बा व थाना छर्रा जनपद अलीगढ़।

<u>बरामदगी</u>

1—01 किलो 300 ग्राम अवैध चरस।

2—01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस।

➢ **<u>जनपद संतकबीरनगर/थाना घनघटा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद संतकबीरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना घनघटा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 436 भादवि के

अन्तर्गत अभियुक्त झिन्नान उर्फ रामजीत को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बलिया/थाना बांसडीहरोड (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बलिया द्वारा थाना बांसडीहरोड पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट एवं 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रोहित को आजीवन कारावास व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद मुजफ्फरनगर/थाना चरथावल (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 12 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना चरथावल पर पंजीकृत अभियोग में धारा 148/302/149/506 भादवि व 25(1बी)(ए) एवं 27(1) आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त संजीव को आजीवन कारावास व 12 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बहराइच/थाना खैरीघाट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 20–20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 80–80 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना खैरीघाट पर पंजीकृत अभियोग में धारा 377/344 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–धनीराम 2–अंकुश कुमार को 20–20 वर्ष के कठोर कारावास व 80–80 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना मोहम्मदपुर खाला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना मोहम्मदपुर खाला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 3 सपठित धारा 4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त राकेश को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बस्ती/थाना हरैया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बस्ती द्वारा थाना हरैया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रामजी को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>कमिश्नरेट लखनऊ/थाना आलमबाग (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

कमिश्नरेट लखनऊ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद लखनऊ द्वारा थाना आलमबाग पर पंजीकृत अभियोग में धारा 354क/506/376(3) भादवि सपठित धारा 5एम/6 व 9/10 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त ओम प्रकाश उर्फ पप्पू को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एस0टी0एफ0–जनपद भदोही में दिनदहाड़े हुई प्रधानाचार्य की हत्या में वांछित रुपये 50,000 का पुरस्कार घोषित अभियुक्त फरमूद गिरफ्तार।

दिनांक 30–01–2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को जनपद भदोही में दिनदहाड़े हुई प्रधानाचार्य की हत्या के सम्बन्ध में थाना कोतवाली, जनपद भदोही में पंजीकृत मु0अ0सं0 215/2024 धारा 103(1) बीएनएस में वांछित रू0 50,000/–का पुरस्कार घोषित अभियुक्त फरमूद को जनपद लखनऊ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

1– फरमूद पुत्र स्व0 मासूक उर्फ़ मासूम निवासी ग्राम दानीपट्टी (प्यारे का पुरवा) थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–

फनमॉल के निकट, थाना क्षेत्र गोमतीनगर, जनपद लखनऊ। दिनांक 30–01–2025 समय 19.00 बजे।

विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री धर्मेश कुमार शाही, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि थाना कोतवाली, जनपद भदोही में पंजीकृत मु0अ0सं0 215/2024 में वांछित रू 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त फरमूद उपरोक्त फन मॉल गोमती नगर लखनऊ के पास आने वाला है। इस सूचना पर निरीक्षक अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में निरीक्षक राघवेंद्र सिंह, उपनिरीक्षक अतुल चतुर्वेदी, उ0नि0 प्रदीप सिंह, मु0आ0 नीरज पाण्डेय, मु0आ0 राम निवास शुक्ल, मु0आ0 सुशील सिंह, आ0 बृजेश बहादुर सिंह, आरक्षी अमित त्रिपाठी की टीम द्वारा ज्ञात स्थान पर पहुॅचकर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त फरमूद ने पूछताछ पर बताया कि दिनांकः–21–10–2024 को अपने साथी आमिर, जुनैद,कलीम व सौरभ के साथ मिलकर नेशनल इण्टर कॉलेज भदोही के प्रधानाचार्य योगेंद्र बहादुर सिंह की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दिया था। सौरभ और प्रधानाचार्य योगेंद्र बहादुर सिंह से की पूर्व से दुश्मनी थी। उसने ही अपने मित्र कलीम के माध्यम से जुनैद, आमिर व फरमूद को घटना करने के लिए 5,00,000/– रूपये दिया था। पैसा लेने के पश्चात जुनैद व आमिर के साथ मिलकर प्रधानाचार्य की करीब एक महीने तक रैकी की थी। इस घटना में अभियुक्त सौरभ, आमिर व कलीम पूर्व में ही गिरफ्तार हो चुके है।

अभियुक्त फरमूद का ज्ञात आपराधिक इतिहास निम्नवत है–

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	250/22	307 भादवि	कोतवाली सिटी	प्रतापगढ़
2	712/21	392/411 भादवि	कोतवाली सिटी	प्रतापगढ़
3	215/24	103(1) बीएनएस	कोतवाली	भदोही

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना कोतवाली, जनपद भदोही में पंजीकृत मु0अ0सं0 215/2024 धारा 103(1) बीएनएस में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

एस0टी0एफ0–साइन सिटी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में जमीन/प्लाट के नाम पर इनवेस्ट कराकर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का सक्रिय सदस्य एवं जनपद सुलतानपुर से रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त शाहिद अख्तर पुत्र अब्दुल नियाज अंसारी जनपद सुलतानपुर से गिरफ्तार।

दिनांक 30–01–2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को साइन सिटी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में जमीन/प्लाट के नाम पर इनवेस्ट कराकर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह के विरूद्ध थाना कोतवाली नगर, जनपद सुलतानपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 264/2022, मु0अ0सं0 265/2022 एवं मु0अ0सं0 266/2022 में वांछित रू0

50,000/— का पुरस्कार घोषित अभियुक्त शाहिद अख्तर पुत्र अब्दुल नियाज अंसारी को जनपद सुलतानपुर से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–</u>

1— शाहिद अख्तर पुत्र अब्दुल नियाज अंसारी, निवासी 236जी/18डी/1ए करेला बाग, जीबीटी नगर, थाना करेली, जनपद प्रयागराज।

<u>गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–</u>

सीतामढ़ी ढाल, थाना को0नगर, जनपद सुलतानपुर। दिनांक 30—01—2025, समय 17.20 बजे।

विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री प्रमेश कुमार शुक्ला, पुलिस उपाधीक्षक एसटीएफ उ0प्र0 के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में दिनांक 30—01—2025 को एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई अयोध्या टीम जनपद सुलतानपुर में भ्रमणशील थी। इस दौरान ज्ञात हुआ कि थाना कोतवाली नगर, जनपद सुलतानपुर में पंजीकृत अभियोगों में वांछित रू0 50,000/— का पुरस्कार घोषित अभियुक्त शाहिद अख्तर सीतामढ़ी ढाल, थाना कोतवाली नगर, सुलतानपुर के पास मौजूद है, जो कही भागने की फिराक में है। इस सूचना पर उ0नि0 श्री सौरभ मिश्रा के नेतृत्व में मु0आ0 संतोष सिंह, मु0आ0 राजकुमार शुक्ला, मु0आ0 रजनीष सिंह, मु0आ0 नीरज सिंह, मु0आ0 विमलेन्द्र मोहन मिश्रा की टीम द्वारा ज्ञात स्थान पर पहुॅचकर वांछित अभियुक्त को आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त शाहिद अख्तर ने पूछताछ पर बताया कि वह वर्ष—2012 से वर्ष—2018 तक साइन सिटी कम्पनी में कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्य कर रहा था तथा कम्पनी के एम0डी0 आसिफ नसीम के सहायक के रूप में भी कार्य करता था।

आसिफ नसीम ने इसके काम एवं विश्वष्नीयता को देखते हुए जनपद सुलतानपुर में शुरू की गयी कम्पनी की नयी साइट साइन सिटी प्रोक्सिमा डेपलपर्स में इसको बतौर पार्टनर रजिस्टर्ड कराया था। कम्पनी के भाग जाने पर कम्पनी में पार्टनर होने के होने कारण इसके विरूद्ध की कार्यवाही प्रचलित थी और अभियोग में नाम प्रकाष में आया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए इधर उधर स्थान बदल कर रह रहा था।

<u>अभियुक्त शाहिद अख्तर पुत्र अब्दुल नियाज अंसारी का ज्ञात आपराधिक इतिहास निम्नवत है–</u>

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	264 / 2022	409, 420, 467, 468, 471, 427, 120बी भा0द0वि0	कोतवाली नगर	सुलतानपुर
2	265 / 2022	409, 420, 467, 468, 471, 427, 120बी भा0द0वि0	कोतवाली नगर	सुलतानपुर
3	266 / 2022	409, 420, 467, 468, 471, 427, 120बी भा0द0वि0	कोतवाली नगर	सुलतानपुर

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना कोतवाली नगर, जनपद सुलतानपुर में पंजीकृत उपरोक्त मुकदमों में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना स्थानीय द्वारा प्रचलित है।

<u>एस0टी0एफ0–अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध रूप में आक्सीटोसीन इन्जेक्शन की तस्करी करने वाले गिरोह का 01 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार, 2,16,000 एमएल आक्सीटोसीन व 1,75,000 एमएल केमिकल (कीमत रूपये 70,00,000 / –) बरामद।</u>

दिनॉकः 30–01–2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध रूप में आक्सीटोसीन इन्जेक्शन की तस्करी करने वाले गिरोह के 01 सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 2,16,000 एमएल आक्सीटोसीन तथा 1,75,000 एमएल केमिकल (कीमत रूपये 70,00,000 / –) बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :–

1– जुबैर पुत्र लल्ला, निवासी 476 / 318 सीतापुर रोड़ खदरा चुंगी पुरानी बांस मण्डी थाना मदेयगंज जनपद लखनऊ। स्थायी पता–ग्राम रठौरा तहसील बडौत थाना छपरौली जनपद बागपत

बरामदगी :–

1– 2,16,000 एमएल आक्सीटोसीन तथा 1,75,000 एमएल केमिकल(आक्सीटोसीन) (कीमत रूपये 70,00,000 / –)

2– 14,000 हजार प्लास्टिक की खाली बोतल।

3– 03 अदद हैण्ड सीलिंग मषीन तथा रबर स्टापर।

4– 01 अदद मोबाइल फोन

5– 01 अदद पीटीएम बार कोड।

6– 01 अदद आधार कार्ड

7– रूपये 1,300 / – नगद।

गिरफ्तारी का दिनांक/समय व स्थानः–

दिनाँक–30–01–2025 समय 23.30 बजे, मुण्डे टेलर मास्टर के मकान कहारन टोला पुरानी बांस मण्डी सीतापुर रोड थानाक्षेत्र मदेयगंज जनपद लखनऊ।

विगत कुछ दिनों से एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को बिहार / दिल्ली राज्य से अवैध रूप में आक्सीटोसीन इन्जेक्षन की तस्करी करने वाले शातिर तस्करों के सक्रिय होने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों / टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री अमित कुमार नागर, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

उ0नि0 श्री विनोद कुमार सिंह के नेतृत्व में मु0आ0 राजेश मौर्य, मु0आ0 रूद्र नारायण उपाध्याय, मु0आ0 अषोक गुप्ता, विजय वर्मा, मु0आ0 कौशलेन्द्र प्रताप सिंह चालक त्रिदेव मिश्रा एसटीएफ उ0प्र0 लखनऊ की एक टीम अभिसूचना संकलन के क्रम में जनपद लखनऊ में भ्रमणशील थी। इस दौरान सूचना मिली कि कुछ लोग गिरोह

बनाकर बिहार/दिल्ली राज्य से भारी मात्रा में आक्सीटोसीन इन्जेक्शन मंगाकर लखनऊ एवं आस–पास के जनपदों में इसकी अवैध रूप से सप्लाई करते है। यह भी ज्ञात हुआ कि इस गिरोह द्वारा आक्सीटोसीन इन्जेक्शन में फिनाइल का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि जानवरों सहित जन मानस के लिए भी बहुत ही घातक है। इस गिरोह का मुख्य सदस्य कहारन टोला पुरानी बांस मण्डी सीतापुर रोड थानाक्षेत्र मदेयगंज जनपद लखनऊ स्थित मुण्डे टेलर मास्टर के किराये के मकान में फिलिंग का कार्य करते है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा औषधि निरीक्षक श्री संदेश मौर्या व निलेश कुमार शर्मा को साथ लेकर उक्त स्थान पर पहुॅचकर देखा गया तो वहॉ पर 01 व्यक्ति द्वारा आक्सीटोसीन इन्जेक्शन की अलग–अलग शीशियों में फिलिंग करते हुए पाया गया। जिस पर इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया तथा मौके से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि उसका एक गिरोह है, जो लखनऊ एवं आस–पास के जनपदों में अवैध रूप से आक्सीटोसीन इन्जेक्शन की सप्लाई करता है। यह लोग दिल्ली/बिहार राज्य से हाई डेनिसिटी के आक्सीटोसीन इन्जेक्शन पार्सल के माध्यम से अंकुर लोनी गाजियाबाद उ0प्र0 से मिनरल वाटर बताकर मंगाता है। जुबैर व अंकुर द्वारा आवष्यकतानुसार अपने हिसाब से अलग अलग साइज के एम्पुल में पैक करके सोनू यादव निवासी दुबग्गा दसेहरी मोड लखनऊ, 2–बाबा गाजी निवासी डिपो मिश्रपुर चौराहा जनपद लखनऊ 3–जब्बार निवासी डिपो मिश्रपुर चौराहा जनपद लखनऊ, 4–रिहान तिकोनिया थाना पारा जनपद लखनऊ को जनपद लखनऊ के आस–पास के जनपदों में सप्लाई करने हेतु देते है। इस इन्जेक्षन का इस्तेमाल पषुओं के दुध निकालने, सब्जियों एवं फलों को कम समय में अधिक विकसित होने आदि के लिए किया जाता है।

उल्लेखनीय है कि एसटीएफ उ0प्र0 द्वारा दिनाँक 14–08–2024 थाना–क्षेत्र आषियाना, लखनऊ से आक्सीटोसीन इन्जेक्शन की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सक्रिय सदस्यों को 36 पेटी (लगभग 2,80,899 एम्पुल) तथा दिनांक 29–11–2024 को 02 व्यक्तियों को 2,21,960 एमएल आक्सीटोसीन के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिसकी कीमत लगभग 39,55,327 रूपये थी।

स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के गजट नोटिफिकेषन संख्याः 242(ई) दिनांक 03—04—2001 द्वारा औषधि एवं प्रषाधन नियमावली—1945 के नियम 105 के अन्तर्गत आक्सीटोसीन इन्जेक्षन के विक्रय को मात्र सिंगल यूनिट ब्लिस्टर पैक में ही प्राविधानिक किया गया है। अवैध रूप में आक्सीटोसीन का व्यापार करना जन मानस के जीवन को संकट उत्पन्न होने की प्रबल सम्भावना होती है। इस इन्जेक्षन में फिनायल के मिलावट के तथ्यों के सम्बन्ध में उसका सैम्पल लेकर परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना मदेयगंज, जनपद लखनऊ में मु0अ0सं0 17/2025 धारा— 318(4), 319(2), 280, 112, 276 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कराकर दाखिल किया गया।, अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

——————